न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या—78 / 2012—13

राम कृपाल राय वगैरह बनाम कुन्ती देवी वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
23/5/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 45 / 2011—12 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 14.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के उपरान्त विपक्षीगण को नोटिस की गयी। विपक्षी सं0 1 से 4 अर्थात कुन्ती देवी, रवीन्द्र नाथ भारतीय, कुमारी संगीता एवं कृष्ण कुमार सिन्हा की तरफ से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दायर किया गया। इस वाद में आवेदक एवं विपक्षी दिनांक 20.06.2017 से लगातार सुनवाई की तिथि यथा 01.08.17, 16.09.17, 01.11.17, 20.12.17, 06.02.18, 31.03.18 को उपस्थित नहीं हुए। आवेदकगण आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि उभय पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदक के आवेदन, विपक्षी सं0 1 से 4 की तरफ से दायर प्रतिउतर एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दावा के पक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 45 / 2011—12 में दिनांक 14.09.2012 को पारित आदेश में कहा गया है कि विपक्षीगण के विक्रेता के पूर्वज के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी काफी पूर्व से कायम है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड क्रय करने के पश्चात विधिवत दाखिल खारिज कराया गया है तथा उनके द्वारा सरकार को लगान का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अपीलकर्त्ता या उनके पूर्वज की प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी भी जमाबंदी कायम नहीं हुई है। आवेदकगण के द्वारा न तो निम्न न्यायालय में प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दावा के पक्ष में कोई साक्ष्य दाखिल किया गया और न ही इस न्यायालय में उनके द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दावा के समर्थन में कोई कागज दाखिल किया गया है। उपर्युक्त परिस्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 45 / 2011—12 में दिनांक 14.09.2012 को पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित।** 23/5/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 23/5/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	